



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Apr/2025 09:14:43

ग्राम क्रमांक : 124620 ग्राम का नाम (परगना) : भाड़ई (आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00259

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
660	रिक् / गिराज सिंह / नि. ग्राम टिकल / गिराज सिंह / नि. ग्राम मनीष नावा0उम्र 11 वर्ष / गिराज सिंह/ श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आगरा / नि. ग्राम भोलेश्वर / हरीशचन्द्र / नि. ग्राम विनोद / हरीशचन्द्र / नि. ग्राम श्रीमती शीलादेवी / स्व0 हरीशचन्द्र / नि. ग्राम पीतम सिंह / गोधन सिंह / नि. ग्राम नवाव सिंह / गोधन सिंह / नि. ग्राम शंकुन्तला / पूरन सिंह / ककुआ जगदीश / पूरन सिंह / ककुआ		1402 फ	660(1246200660000012)	0.1460		4.00	

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Apr/2025 09:14:43

ग्राम क्रमांक : 124620 ग्राम का नाम (परगना) : भाडई (आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00259

अजय / पूरन सिंह / ककुआ
महेश / पूरन सिंह / ककुआ

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव एक चार छः शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - चार दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) अन्य /T202201010101096 /23-05-2022 /वरासत /ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) /19-11-2023	1.1) शंकुन्तला/पूरन सिंह/ककुआ (शेष क्षेत्रफल : -)	660(1246200660000012)	1.1) - 1.2) - 1.3) -	1.1) श्रीमती चांदनी/लोकेन्द्र/निवासी 37ए/199डी मधुनगर तह0 व जिला आगरा	660(1246200660000012)	1.1) - 1.2) - 2.1) -
2) ऑनलाइन उत्तराधिकार /2024114600766000215 /13- 02-2024 /वरासत /ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) /20-02-2024	1.2) जगदीश/पूरन सिंह/ककुआ (शेष क्षेत्रफल : -)		1.4) - 2.1) - 3.1) -	1.2) श्रीमती नेहा/गोपाल सिंह/भाडई पोस्ट ककुआ तह0 व जिला आगरा		2.2) - 2.3) - 3.1) -
3) अन्य /T202501010101772 /27-02-2025 /विक्रय /ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) /11-03-2025	1.3) अजय/पूरन सिंह/ककुआ (शेष क्षेत्रफल : -)		4.1) - 5.1) - 6.1) -	2.1) गोपाल सिंह/नवाब सिंह/ग्राम भांडई तहसील सदर आगरा		4.1) - 5.1) - 6.1) -
	1.4) महेश/पूरन सिंह/ककुआ (शेष क्षेत्रफल : -)		7.1) - 8.1) - 9.1) -	2.2) भगवती देवी/नबाब सिंह/ग्राम भांडई तहसील सदर आगरा		7.1) - 8.1) - 9.1) -
	2.1) नवाब सिंह/		10.1) -	2.3) राकेश कुमार/नवाब सिंह/ग्राम भांडई तहसील सदर आगरा		10.1) -
				3.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा/-/-		
				4.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा/-/-		

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Apr/2025 09:14:43

ग्राम क्रमांक : 124620	ग्राम का नाम (परगना) : भाडई (आगरा)	तहसील : आगरा	जनपद : आगरा	फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)	भाग : 1	(1) खाता संख्या : 00259
4) अन्य /T202501010101761	गोधन सिंह/नि. ग्राम			11.1) -	5.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा/-/-	11.1) -
/27-02-2025 /विक्रय /ASHOK	(शेष क्षेत्रफल : -)			12.1) -	6.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा/-/-	12.1) -
KUMAR (REVENUE	3.1) गोपाल सिंह/				7.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा/-/-	
INSPECTOR) /11-03-2025	नवाब सिंह/ग्राम भांडई				8.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा/-/-	
5) अन्य /T202501010101841	तहसील सदर आगरा				9.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा/-/-	
/27-02-2025 /विक्रय /ASHOK	(शेष क्षेत्रफल : -)				10.1) आगरा विकास प्राधिकरण	
KUMAR (REVENUE	4.1) श्रीमती चांदनी/				आगरा/-/-	
INSPECTOR) /11-03-2025	लोकेन्द्र/निवासी				11.1) आगरा विकास प्राधिकरण	
6) अन्य /T202501010101837	37ए/199डी				आगरा/-/-	
/27-02-2025 /विक्रय /ASHOK	मधुनगर तह0 व जिला				12.1) आगरा विकास प्राधिकरण	
KUMAR (REVENUE	आगरा (शेष क्षेत्रफल :				आगरा/-/-	
INSPECTOR) /11-03-2025	-)					
7) अन्य /T202501010101834	5.1) विनोद/					
/27-02-2025 /विक्रय /ASHOK	हरीशचन्द्र/नि. ग्राम					
KUMAR (REVENUE	(शेष क्षेत्रफल : -)					
INSPECTOR) /11-03-2025	6.1) श्रीमती					
8) अन्य /T202501010101832	शीलादेवी/स्व0					
/27-02-2025 /विक्रय /ASHOK	हरीशचन्द्र/नि. ग्राम					
KUMAR (REVENUE	(शेष क्षेत्रफल : -)					
INSPECTOR) /11-03-2025	7.1) भगवती देवी/					
9) अन्य /T202501010101831	नवाब सिंह/ग्राम भांडई					
/27-02-2025 /विक्रय /ASHOK	तहसील सदर आगरा					
KUMAR (REVENUE	(शेष क्षेत्रफल : -)					
INSPECTOR) /11-03-2025	8.1) राकेश कुमार/					
10) अन्य /T202501010101783	नवाब सिंह/ग्राम भांडई					
/27-02-2025 /विक्रय /ASHOK	तहसील सदर आगरा					
KUMAR (REVENUE	(शेष क्षेत्रफल : -)					

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Apr/2025 09:14:43

ग्राम क्रमांक : 124620	ग्राम का नाम (परगना) : भाडई (आगरा)	तहसील : आगरा	जनपद : आगरा	फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)	भाग : 1	(1) खाता संख्या : 00259
INSPECTOR) /11-03-2025	9.1) पीतम सिंह/					
11) अन्य /T202501010101813	गोधन सिंह/नि. ग्राम					
/27-02-2025 /विक्रय /ASHOK	(शेष क्षेत्रफल : -)					
KUMAR (REVENUE	10.1) रिकू/गिराज					
INSPECTOR) /11-03-2025	सिंह/नि. ग्राम (शेष					
12) अन्य /T202501010101884	क्षेत्रफल : -)					
/28-02-2025 /विक्रय /ASHOK	11.1) श्रीमती नेहा/					
KUMAR (REVENUE	गोपाल सिंह/भाडई					
INSPECTOR) /30-03-2025	पोस्ट ककुआ तह0 व					
	जिला आगरा (शेष					
	क्षेत्रफल : -)					
	12.1) टिकल/					
	गिराज सिंह/नि. ग्राम					
	(शेष क्षेत्रफल : -)					

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1) Aryavart Bank/22094/24-01-2024/250000.00/146007662024002222094/पीतम सिंह(गोधन ंसिंह), पीतम सिंह(गोरधन सिंह), पीतम सिंह(गोधन सिंह), पीतम सिंह(गोरधन सिंह), पीतम सिंह(गोधन ंसिंह), पीतम सिंह(गोरधन सिंह), पीतम सिंह(गोधन सिंह), पीतम सिंह(गोरधन सिंह)

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1) Aryavart Bank/22094/01-07-2024/268750/146007662024002222094/पीतम सिंह(गोधन ंसिंह), पीतम सिंह(गोरधन सिंह), पीतम सिंह(गोधन सिंह), पीतम सिंह(गोरधन सिंह), पीतम सिंह(गोधन ंसिंह), पीतम सिंह(गोरधन सिंह), पीतम सिंह(गोधन सिंह), पीतम सिंह(गोरधन सिंह)

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Apr/2025 09:14:43

ग्राम क्रमांक : 124620 ग्राम का नाम (परगना) : भाडई (आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00259

(19) अभ्युक्ति :

- 1) 1421फ- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 26-05-14 के अनुसार गिराजसिंह पुत्र गोरधनसिंह का खाता 90000/- में बन्धक किया जाता है ह०अ०के० 02-06-14 (डिजिटल हस्ताक्षर : REWATI LAL (RI OFFICE) /07-12-2022)
- 2) 1425फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 19-07-18 के अनुसार रिकू पुत्र गिराज सिंह व गुडडी पत्नी गिराज सिंह का खाता 56000/- में बन्धक किया जाता है ह०अ०के० 25-07-18/4017 (डिजिटल हस्ताक्षर : REWATI LAL (RI OFFICE) /07-12-2022)
- 3) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 10-05-24 के अनुसार रिकू पुत्र गिराज सिंह व गुडडी पत्नी गिराज सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०अ०के० 5770 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) /12-06-2024)

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1429फ व आदेश श्रीमान ना०तह०अकोला के वाद सं० T202201010101096 दि० 23-05-22 के अनुसार गाटा संख्या 657 रकवा 0.1180हे० सम्पूर्ण व खाता संख्या 00341 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० के नियत 1/4 भाग यानि रकवा 0.0365हे० यानि कुल विक्रीत रकवा 0.1545हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्रीमती शकुन्तला पट्टी पूरन सिंह व जगदीश व अजय व महेश पुत्रगण पूरन सिंह निवासीगण ग्राम ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता श्रीमती चांदनी पट्टी लोकेन्द्र निवासी 37ए/199डी मधुनगर तह० व जिला आगरा व श्रीमती नेहा पट्टी गोपाल सिंह निवासी ग्राम भाडई पोस्ट ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज हो ह०अ०के० 23-05-22

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी./लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through Online Payment/e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101761
वाद संख्या:- 1761/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम चांदनी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० जू202501010101761/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम चांदनी

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० मे से 1/8 भाग रकवा 0.01825हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने चांदनी से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० मे से 1/8 भाग रकवा 0.01825हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० मे से 1/8 भाग रकवा 0.01825हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्रीमती चांदनी पतनी श्री लोकेन्द्र निवासी 37ए/199डी मधु नगर तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 488375/-रू० आवेदन संख्या-202400766065325 दिनांक 19.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101772
वाद संख्या:- 1772/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम गोपाल सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101772/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम गोपाल सिंह

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने गोपाल सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता गोपाल सिंह पुत्र श्री नवाव सिंह निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 146125/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065529 दिनांक 18.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101783
वाद संख्या:- 1783/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम रिकू
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० जू202501010101783/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम रिकू

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने रिकू से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता रिकू पुत्र री गिराज सिंह निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 146125/-रू० आवेदन संख्या-202400766065321 दिनांक 19.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101813
वाद संख्या:- 1813/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम नेहा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101813/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम नेहा

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/8 भाग रकवा 0.01825हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने नेहा से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/8 भाग रकवा 0.01825हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/8 भाग रकवा 0.01825हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्रीमती नेहा पत्नी श्री गोपाल सिंह निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 438375/-रू० आवेदन संख्या-202400766065327 दिनांक 19.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101831
वाद संख्या:- 1831/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम पीतम सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101831/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम पीतम सिंह

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 3/8 भाग रकवा 0.05475हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने पीतम सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 3/8 भाग रकवा 0.05475हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00005 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 3/8 भाग रकवा 0.05475हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता पीतम सिंह पुत्र श्री गोधन सिंह निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर



सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 1315125/-रू० आवेदन संख्या-202400766065324 दिनांक 19.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101832
वाद संख्या:- 1832/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम राकेश कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101832/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम राकेश कुमार

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने राकेश कुमार से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता राकेश कुमार पुत्र श्री नवाव सिंह निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 146125/-रू० आवेदन संख्या-202400766065524 दिनांक 19.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101834
वाद संख्या:- 1834/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम भगवती देवी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101834/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम भगवती देवी

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने भगवती देवी से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता भगवती देवी पत्नी श्री नवाव सिंह निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 146125/-रू० आवेदन संख्या-202400766065543 दिनांक 19.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101840
वाद संख्या:- 1840/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम शीला देवी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101840/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम शीला देवी

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने शीला देवी से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता पीतम सिंह पुत्र श्री गोधन सिंह निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 472253/-रू० आवेदन संख्या-202400766065515 दिनांक 18.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101841
वाद संख्या:- 1841/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम विनोद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101841/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम विनोद

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने विनोद से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.0060833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता विनोद पुत्र श्री हरीशचन्द्र निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 146125/-रू० आवेदन संख्या-202400766065319 दिनांक 18.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, अकोला
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101884
वाद संख्या:- 1884/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम टिकल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 28/02/2025

वाद सं० ज्202501010101884/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम टिकल

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.00608333हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने टिकल से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में दानपत्र, शपथपत्र एवं नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.00608333हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं० 00259 के गाटा संख्या 660 रकवा 0.1460हे० में से 1/24 भाग रकवा 0.00608333हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता टिकल पुत्र श्री गिराज सिंह निवासी ग्राम भाडई पो० ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 146125/-रू० आवेदन संख्या-202400766065322 दिनांक 19.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"